न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति राज लक्ष्मी गेहलोत (R.A.S)
वाद संख्या 112/2016
निर्णय प्राथमिक - डिक्री दिनांक 27.5.2017
राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 22/2021
तारीख दायरा 22/6/2021

प्रार्थीगण :-

1. हेमाराम पुत्र गमनाराम जी जाति सिरवी
2. भैराराम पुत्र हेमाजी जी जाति सिरवी
3. मोहनलाल पुत्र मगाजी जाति सिरवी
निवासीगण देसूरी तह० देसूरी जिला-पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :-

1. नेनाराम पुत्र कुपाराम जी जाति सिरवी निवासी देसूरी तहसील देसूरी जिला-पाली (राज.)

उपस्थिति

1. श्री दिनेशकुमार माली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी एक पक्षीय

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 C.P.C.

-: निर्णय :- दिनांक 22/9/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 C.P.C. विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने न्यायालय मे दिनांक 11/6/2016 को राजस्व वाद संख्या 112/2016 उनवान नेनाराम बनाम हेमाराम पेश किया गया था। जिसमे प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 1, 4, 9, होने के वाद की आगामी तारीख पेशी दिनांक 22/09/2016 को तलवाना पेश करने तलबी मे नियत की। प्रतिवादी संख्या [illegible]ाराम के फौत होने से प्रार्थना पत्र [illegible] C.P.C. का पेश होने से पत्रावली [illegible]काम तलबी व जवाब मे नियत कर पेशी [illegible]-11-2016 को नियत की। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 27/5/2017 को लोक अदालत केम्प देसूरी मे सुनवाई मे लेकर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

P.T.O 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे वाद को विधि के प्रावधानो के विपरीत निर्णित करते हुए वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई जिससे प्रार्थी द्वारा एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री और निर्णय को अपास्त कर पुन वाद को सुनवाई हेतु नम्बर पर लेने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वाद मे प्रतिवादी संख्या 11 का स्वर्गवास होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 11 के वारिसान को रिकोर्ड पर नही लिया जाकर मृत पक्षकार के विरुद्ध निर्णय व डिक्री होने से भी अपास्त योग्य है।

पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 11, 12, 13, अनुपस्थित थे। प्रार्थीगण प्रतिवादी सं. 6, 9, से 14 मय अधिवक्ता भी दिनांक 27/05/2017 को अनुपस्थित होने से एक पक्षीय निर्णय और डिक्री दिनांक 27/05/2017 को अपास्त कर वाद को पुन नम्बर पर लेने का आदेश दिया जाना न्याय संगत है।

लोक अदालत केम्प देसूरी मे सभी पक्षकारो की उपस्थिति और सहमति होने पर ही पत्रावली पर सुनवाई की जा सकती थी। जबकि प्रतिवादीगण सभी उपस्थित नही थे। तथा न ही वाद स्वीकार की कोई लिखित सहमति दी थी। जिससे भी डिक्री और निर्णय अपास्त योग्य है। प्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे किये गये निर्णय दिनांक 27/05/2017 को अपास्त नही किया जाता है। तो प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेगे।

प्रार्थीगण के बीमार रहने तथा लोक डाउन के दोरान अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर तथा दिनांक 16/06/2021 के नकले प्राप्त करने पर जानकारी मे आया कि प्रार्थीगण की अनुपस्थिति एव जानकारी के अभाव मे बिना राजीनामा समझोता के निर्णय एव प्राथमिक डिक्री दिनांक 27/05/2017 को जारी कर दी गई है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा जानकारी से 30 दिनो के भीतर अन्दर म्याद प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण [illegible] है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार [illegible] की गई। प्रा[illegible] |2016 मे जारी को अपास्त [illegible] निर्णय दिनांक 27/5/2017 [illegible] को पुन नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थीगण को वाद की सुनवाई का अवसर प्रदान करावे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली मय मूल वाद संख्या 112/2016 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने बाद मय प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय के अवलोकन व अध्ययन से उपरोक्त विवेचन के मद्दे नजर वाद संख्या 112/2016 में दिनांक 27/05/2017 को लोक अदालत केस में पारित प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय प्रार्थीगण की अनुपस्थिति एवं वाद को विधि के प्रावधानों के विपरित निर्णित किया जाना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 C.P.C स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 112/2016 में पारित प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 27/5/2017 को अपास्त किया जाता है। मूल वाद संख्या 112/2016 पुनः दिनांक 9/3/2021 को दर्ज हो चुका है।

निर्णय आज दिनांक 22/9/20 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:58 IST
Reason: SelfAttested